न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 03/2016
प्रविष्टि दिनांक 30.11.2016

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा

—प्रार्थी

बनाम

मोहनसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी तिलांजू तहसील मालपुरा जिला टोंक

—प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :— (1) श्री जुगनू शर्मा राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री विक्रम जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

अभिशंषा दिनांक 17.01.2020

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। आवेदन का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 774 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिलांजू तहसील मालपुरा मुताबिक खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 मे गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है। यह रकबा भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 02.11.1977 को रकबा 1 बीघा विपक्षी के नाम आवण्टित किया गया जिस पर दिनांक 15.06.1978 को जरिए नामान्तरकरण सं0 425 से गैर खातेदारी दी गई एंव दिनांक 05.03. 1991 से नामान्तरकरण सं0 965 के द्वारा खातेदारी दर्ज की गई। नकल जमाबंदी सम्वंत 2064—2067 वाके ग्राम तिलांजू खसरा नम्बर 774 रकबा 1 बीघा मोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी तिलांजू तहसील मालपुरा की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार मालपुरा ने अपने प्रार्थना पत्र में उक्त आवण्टन को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने के कारण एंव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2—8—2004 की पालना में प्रस्तुत करते हुए विपक्षी के पक्ष में किया गया आवंटन एंव भरे गये नामान्तरकरण सं0 425 व नामान्तरकरण सं0 965 को निरस्त करने हैतु यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। बहस राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 774 रक़बा 1 बीघा वाके ग्राम तिलांजू पर विपक्षी को दिनांक 02.11.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। भूमि मौके पर गै0मु0 तलाई नही है,काबिल काश्त है। उक्त भूमि पर कभी पानी नही भरा है और न ही पानी आकर ठहरता है। विवादित भूमि सम्वंत 2010 मे गै0मु0 तलाई नही थी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही कृषि योग्य भूमि रही है। इस भूमि पर पानी कहा से आकर भरता था,इसका भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

कोई रिकार्ड प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। आवंटन को निरस्त कराने हेतु 14(4) भू–आंवटन अधिनियम मे प्रावधान दिया गया है। विवादित भूमि के सबंध मे तहसीलदार 14(4) भू–आवंटन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र था,किन्तु तहसीलदार द्वारा भू–आवंटन अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही ,नही की है। नामान्तकरण आदेश के विरूद्व विधि अनुसार अपील की जा सकती है,परन्तु ऐसी कोई अपील भी नही की गई है। उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा धारा 16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। भूमि की किस्म गै0मु0 सिवायचक होने से अप्रार्थी को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद मे खातेदारी दी गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। आवंटन सिवायचक भूमि का किया गया है। आवंटन लगभग 40 वर्ष पुराना है तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया कि विवादित भूमि खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है एवं भूमि का आकार तलाई है, उक्त तलाई भूमि होने के कारण आवण्टन किया जाना राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2.08.2004 की पालना में विपक्षी के पक्ष में किया गया आवण्टन एवं भरे गये नामान्तकरण संख्या 425 गेर खातेदारी एंव खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 965 निरस्त कराने हैतु रेफरेन्स प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने दोराने बहस कथन किया कि प्रार्थी को आवंटित भूमि कि किस्म सिवायचक भूमि है जिसको तलाई भूमि नही माना जा सकता। तलाई भूमि वह भूमि होती है जिसमे जल भरा होता हो। नकल जमाबंदी मे बारानी–2 भूमि दर्ज है। खसरा नम्बर 774 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिलांजू पर विपक्षी को दिनांक 02.11.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवंटन किया गया है। भूमि मौके पर गै0मु0 तलाई नही है,काबिल काश्त है। उक्त भूमि पर कभी पानी नही भरा है और न ही पानी आकर ठहरता है। विवादित भूमि सम्वंत 2010 मे गै0मु0 तलाई नही थी। उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही कृषि योग्य भूमि रही है। इस भूमि पर पानी कहा से आकर भरता था,इसका भी कोई रिकार्ड प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। आवंटन को निरस्त कराने हेतु 14(4) भू– आंवटन अधिनियम मे प्रावधान दिया गया है। विवादित भूमि के सबंध मे तहसीलदार 14(4) भू–आवंटन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र था,किन्तु तहसीलदार द्वारा भू–आवंटन अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही नही की है। नागान्तकरण आदेश के विरूद्व विधि अनुसार अपील की जा सकती है,परन्तु ऐसी कोई अपील भी नही की गई है। उक्त आवंटन पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय इस प्रकरण पर चस्पा नही होता है तथा धारा 16 राज0 टी0एक्ट के प्रावधान भी इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। भूमि की किस्म बारानी–2 होने से अप्रार्थी को पहले गैर खातेदारी प्रदान की गई बाद मे खातेदारी दी गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि पर लगातार काश्त करता आ रहा है। आवंटन बारानी भूमि का किया गया है। आवंटन 40 वर्ष पुराना है

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

तथा खातेदारी मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है।राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 16 मे बारानी–2 भूमि को आवंटन करना निषेध नही माना गया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक एंव अभिभाषक अप्रार्थी की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में साबिक खसरा नम्बर 774 गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज है। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 02.11.1977 को 1 बीघा भूमि विपक्षी मोहनसिंह को आवण्टन किया गया है। आवण्टन आदेश की अनुपालना में विपक्षी को दिनांक 15.06.1978 को जरिए नामान्तकरण सं0 425 गेर खातेदारी एंव दिनांक 05.03.1991 को नामान्तरकरण सं0 965 के द्वारा खातेदारी अधिकार दे दिये गये।

अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पर मौके पर पानी की आवक नही है तथा मौके पर आज गै0मु0 तलाई नही है।
चूँकि विवादित उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 में गै0मु0 तलाई दर्ज होने से सार्वजनिक सम्पदा थी विपक्षी ने इस भूमि को भू आवण्टन सलाहकार समिति की राय से अपने पक्ष में आवण्टित करा कर पहले गैर खातेदारी एंव बाद में खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये। राज0 टिनेन्सी एक्ट की धारा 16 के तहत ऐसी भूमियों का आवण्टन प्रतिबन्धित हैं। इससे स्पष्ट है कि दिनांक 02.11.1977 को विवादित भूमि विपक्षी के पक्ष में आवण्टित किया जाना राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि विवादित भूमि मौके पर गै0मु0 तलाई नहीं है,काबिल काश्त है। उक्त भूमि पर कभी पानी नही भरा है और न ही पानी आकर ठहरता है। तहसीलदार मालपुरा का यह प्रकरण माननीय राज0 उच्च न्यायालय की डी0बी0 सिविल जनहित याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 2–8–2004 की पालना में प्रस्तुत किया है जो स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं।

फलतः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रकरण इस निवेदन के साथ प्रेषित है श्री मोहनसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत निवासी तिलांजू तहसील मालपुरा को प्रकरण संख्या 93/1977 दिनांक 02.11.1977 द्वारा खसरा नम्बर 774 रकबा 1 बीघा वाके ग्राम तिलांजू मे किया गया आवंटन तथा इस आदेश की पालना मे श्री मोहन सिंह के नाम स्वीकार किया गया गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं0 425 दिनांक 15.06.1978 एंव खातेदारी का नामान्तकरण सं0 965 दिनांक 05.03.1991 को निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 774 रकवा 1 बीघा वाके ग्राम तिलांजू को पुनः गै0मु0 तलाई भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक
अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.03.03 16:03:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: